

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Ashis Joint Replacement Care Private limited,
5th Floor, severa Hospital Campus,
lohiya Nagar, Kankar Bagh, Patna - 800020

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बिपिन कुमार श्रीवास्तव पिता- स्व० विद्याचल प्रसाद ग्राम+पो०- सुराहियां थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज | नी रिप्लेसमेंट | 2,00,000 | दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 2,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र का क्रास चेक स० 002623..... मूल रूप में संलग्न
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 936(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | रूबी देवी पति—राम बरन सिंह ग्राम+पोस्ट—पुराना भोजपुर थाना—नया भोजपुर जिला—बक्सर एमसी०एस—एफ 67385 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | कलावती देवी पति—नाटु सिंह ग्राम+पो०—कुसुम्भा थाना—अमरपुर जिला—बाका एम०सी०एस—जी० 12691 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | अमन राजा पिता—इसराईल ग्राम—महेशपुर पो०—सीतलमनी थाना आजम नगर जिला—कटिहार एम०सी०एस—जी० 13358 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | अरविन्द कुमार सिंह पिता—राम प्रवेश सिंह ग्राम—मगध कोलनी रोड न०—10, पोस्ट—चदौती थाना—मगध मेडिकल जिला—गया एम०सी०एस—जी० 14116 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 5 | नीरज कुमार पिता प्रदीप पासवान ग्राम-हँसा पो0-रानीगज थाना-रानीगज जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 90256 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | राजेश कुमार शर्मा पिता-जगरनाथ शर्मा ग्राम-बेदु टोला पो0-थावे थाना-थावे जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 99209 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | धर्मशीला देवी पति-गणेश राय ग्राम-मिर्जापुर पो0-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 13106 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | सजीव कुमार पिता-कृष्ण मोहन राम ग्राम+पोस्ट-मुस्तफापुर थाना-सूर्यगढा जिला- लखीसराय एम0सी0एस-जी0 13679 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | मोगल कुमार राम पिता-हरिलाल राम ग्राम-तिवारी मटिहनिया पो0-सिपहिया थाना-विश्वम्भरपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-जी0 11059 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | सरस्वती देवी पति-स्व0 बुनीलाल शर्मा ग्राम-बैकुठवा पोस्ट खडा कुजलही थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 12390 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | शिवजी राय पिता-स्व0 घोघा राय ग्राम-अमनाबाद पो0-कटेसर थाना-बिहटा जिला पटना एम0सी0एस-जी0 13948 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 12 | बिजली देवी पति-पप्पु चौधरी ग्राम-सीमानपुर पो0-सादिपुर थाना पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 11302 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | मो0 फारुक पिता-मो0 हदीस ग्राम-बैजुपट्टी पो0-हिगुआ थाना भरगामा जिला-अररिया एम0सी0एस-जी0 11528 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | मास्टर सिद्धांत कुमार (Master Sidhant Kumar) पिता-सुरेन्द्र कुमार ग्राम-इटौनहा पो0-मनिया थाना-सोनवर्षा ओ0पी0 जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 13027 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 15 | नजमा खातुन पति-मो0 महफुज आलम ग्राम-कर्बला वार्ड स0-4 पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम0सी0एफ-जी0 10685 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 16 | सुनीता देवी पति-विनोद गामी ग्राम-मथुरापुर पो0-मथुरापुर थाना-मथुरापुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13247 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 17 | नद किशोर भगत पिता-जय गोविन्द भगत ग्राम-कनकट्टी पो0-मेहसी थाना-मेहसी जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 5431 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 18 | सारधा देवी पति-जितेन्द्र माझी ग्राम-कोल्हाचक पो0-धनरुआ थाना-धनरुआ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12949 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 19 | बीबी सन्नो पति-इलियास असारी ग्राम-बदरी टोला पोस्ट-चौसा थाना-चौसा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 12503 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 20 | दिलिप यादव पिता-चन्देश्वरी यादव ग्राम-खुशरूपट्टी वार्ड 01 पो0-दीनापट्टी थाना मुरलीगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 11489 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 21 | रिक्कु देवी पति-सरोज राय ग्राम-करीमचक पो0-छपरा थाना-नगर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 13517 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 22 | कचन देवी पति-नगीना पासवान ग्राम-मठगुलनी पोस्ट-बडी गुलनी थाना पकडी बरावा जिला नवादा एम0सी0एस-जी0 1487 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 23 | सरस्वती देवी पति-विजय चौहान ग्राम-गोविदपुर पोस्ट फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 12483 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | हीरामुनी देवी पति-उमा शकर उपाध्याय ग्राम-दिनारा पोस्ट+थान-दिनारा जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 9006 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | अजु देवी पति-सुभाष कुमार ग्राम+पो0-बिरना लखन सेन थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 13456 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 26 | मृत्युजय यादव पिता-अशोक यादव ग्राम+पो0-बेलहर थाना-बेलहर जिला-बाका एम0सी0एस-जी0 11133 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 27 | सुशीला देवी पति-स्व0 रामा राय ग्राम-राजपुल मैनपुरा पाकरतर पो0-जी0पी0ओ0 थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 13993 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 28 | मजु देवी पति-लाल बाबु साव ग्राम-मुस्तफापुर नगवा पो0-दामोदरपुर थाना-नगर नौसा जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 12280 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 29 | सरिता देवी पति-श्रीधर रामदास ग्राम-सीताचक पोस्ट-मोटगा थाना-धोरैया जिला बाका एम0सी0एस-जी0 13206 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 30 | गीता देवी पति-शिवनदन राम ग्राम+पो0-जियनगज थाना-सरसी जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 11826 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 31 | सीजानकी देवी पति-बसत राय ग्राम-गगापुर अथर पो0-गगापुर थाना-मुसरीघरारी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 13747 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 32 | जयमती देवी पति-स्व0 चनेश्वर प्रसाद ग्राम-रानीपुर पैजावा पोस्ट-पटना सिटी थाना-बाईपास जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 13550 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 33 | बसती देवी पति-स्व० चन्दन भगत ग्राम-हुस्सेपुर नावका टोला पो०-हुस्सेपुर थाना-भोरे जिला-गोपालगज एम०सी०एस-जी० 10982 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 34 | मोहम्मद इस्लाम पिता-मो० हाकिम ग्राम-सिघौल पो०-सिघौल थाना-सिघौल ओ०पी० जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 13776 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 35 | धर्मजीत कुमार पाण्डेय पिता-मिथलेश कुमार पाण्डेय ग्राम-मुसवत पो०-सरॉव थाना-नटवार जिला-रोहतास एम०सी०एस-जी० 9191 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 36 | बबीता देवी पति-पप्पु शर्मा ग्राम-लावापुर पोस्ट+थाना महनार जिला वैशाली एम०सी०एस-जी० 13532 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 37 | घुरा यादव पिता-सरयु यादव ग्राम-पोलापर पो०-सौनारा थाना-माली जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-जी० 12824 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 38 | मो० शाहिद आलम असारी पिता-मो० जमालउद्दीन असारी ग्राम-मोलवी टोला वार्ड 25 पो०-अररिया थाना+जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 9479 | कैसर रोग | 20,000 | बीस हजार स्वीकृत। |
| 39 | मोहम्मद फुरकान पिता-नजीरुद्दीन ग्राम-नहरा कोल पो०-तालाबाडी थाना-अमौर जिला-पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 14077 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 40 | दुलारचन्द्र राम पिता-जग बहादुर राम ग्राम-पहाडपुर पोस्ट-सदरपुर थाना-बडहरिया जिला सीवान एम0सी0एस-जी0 12467 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 41 | सुचिन्ता देवी पिता कामेश्वर सिंह ग्राम-मोमिन्दपुर पोस्ट-मोमिन्दपुर थाना-हिलसा जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 13581 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 42 | दयावती देवी पति-सुधीर यादव ग्राम-रामगढ पो0-रामगढ थाना-रामगढ जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 12800 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 43 | सोनु कुमार पिता-पप्पु शर्मा ग्राम-प्रताप नगर 09 पो0-हरिहरपुर थाना-पानापुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 12943 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 44 | शकर पडित पिता-जगदीश पडित ग्राम-धुरिया पो0-माछीपुर थाना लोदीपुर जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 12508 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 45 | उषा देवी पति-स्व0 अशोक राय ग्राम-दुर्गापुर पो0- रानी पतरा थाना-मुफसिल जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 6979 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 46 | कौशलया देवी पति-हरेन्द्र महतो ग्राम-बिगही जगदीश पो0-पेउली थाना मीरगज जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 13406 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 47 | डोमी यादव पिता-स्व० किशुन यादव ग्राम-कुमारपुर पो०-मंजौरा थाना-बिहारीगज जिला मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 13263 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 48 | राजीव कुमार कैब पिता-राम नरेश कैब ग्राम-मकदमपुर पो०-ममसा थाना-मसूरचक जिला बेगुसराय एम०सी०एस-जी० 12031 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 49 | गायत्री देवी पति-राम अजय शर्मा ग्राम-बेरी पो० लट्टा थाना-पौथु जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-जी० 14070 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 50 | राम बिलास सिंह पिता- धनेश्वर सिंह ग्राम-खुटिया पो०-मानसी थाना-मानसी जिला खगडिया एम०सी०एस-जी० 13838 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 51 | अशोक चौधरी पिता-बद्री चौधरी ग्राम-मझेली पो-बेलवा थाना- मुफसिल जिला-पूर्णिमा एम०सी०एस-जी० 10816 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 52 | मदन पासवान पिता-गणेश पासवान ग्राम-बहदीनपुर पो०-बहदीनपुर थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एम०सी०एस-जी० 12317 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 53 | मानदेव मांझी पिता-राजपति मांझी ग्राम-कन्हौली पो०-भलुआ थाना-बडहरिया जिला-सीवान एम०सी०एस-जी० 12304 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 54 | पकज कुमार पिता-निवास महतो ग्राम-जमालपुर पो0-नया महम्मदपुर थाना कोईलवर जिला भोजपुर एम0सी0एस-जी0 13453 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 55 | शकर प्रसाद पिता-सूचित राम ग्राम-मझौली पो0-अख्तियारपुर थाना-बिक्रम जिल पटना एम0सी0एस-जी0 7708 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 56 | रेनू देवी पति- रामशरण प्रसाद ग्राम- तिनगछिया वार्ड 08 पो0+थाना- गोविदगज जिला- पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0- जी 13572 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 57 | हरिशकर सिंह पिता- बट्टी नारायण सिंह ग्राम- पुर्णेन्दु नगर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना एमसीएस न0- जी 8069 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 58 | अर्जुन सिंह पिता- चन्द्रिका सिंह ग्राम- रमना पो0+थाना- शेरघाटी जिला- गयाजी एमसीएस न0- जी 8513 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 59 | अशोक यादव पिता- शिवबालक यादव ग्राम+पो0- बराह थाना- हरनौत जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 90514 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 60 | मोहन कुमार सिन्हा पिता- राज कृष्णा प्रसाद ग्राम- चेरिया बरियारपुर पो0- श्रीपुर थाना- चेरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय एमसीएस न0- जी 2636 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|------------------|------------------------|
| 61 | मजू देवी पति- विजय कुमार सिंह ग्राम+पो- इनाई थाना- शिविलगज जिला- सारण एमसीएस न0- जी 11223 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 47,70,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 47,70,000/- (सैतालीस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिराबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 917(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं 002626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शकर दानी पंडित पिता- समिन्द्र पंडित ग्राम- बासोपिण्डा पो०- भुआपुर थाना- बेलछी जिला- पटना सीआर न०- 108112501315906 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | मालती देवी पति- प्रेम शकर दीक्षित ग्राम+पो०- पकडी दीक्षित थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 108112600135758 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | महेश यादव पिता- धनुषधारी यादव ग्राम- बीरपुर वार्ड 03 पो०- बाकी थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी सीआर न०7 108112403359938 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | रामाशकर सिंह पिता- मोहर सिंह ग्राम- अरना वार्ड 03 पो०- अरना थाना- मशरक जिला- सारण सीआर न०- 108112300017583 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|
| 5 | रीना कुमारी पति- भोला पासवान ग्राम+पो0- नईमा थाना- घोषी जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112503354925 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | पुष्पा देवी पति- तारकेश्वर राय ग्राम- सपही पो0- निमेज थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर सीआर न0- 108112300858286 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | पूनम देवी पति- इन्द्र भूषण पाडेय ग्राम- बेलही वार्ड 04 पो0- बेलही थाना- सुपौल सीआर न0- 108112600322949 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | सगीरा खातून पति- मो0 समसुल हक ग्राम+पो0- बेला थाना- जयनगर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112503044454 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 9 | सिमपी सिंह पति- ऋषिकेश सिंह ग्राम- कनाई पो0- ध्रुवडीहा थाना- चरपोखरी जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112502592814 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 10 | वीणा देवी पति- अजय कुमार सिंह ग्राम+पो0- देवदही थाना- तरैया जिला- सारण सीआर नं0- 108112300988881 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | लालपरी देवी पति- कृष्णा राम ग्राम- इदिलपुर पो0- बारवे थाना- दरियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112403557005 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------|--|
| 12 | सुर्य कुमार शर्मा पिता- स्व० विश्वनाथ शर्मा ग्राम- पथरी घाट नियर त्रिपोलिया पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर न०- 108112401708714 | LE Cataract | 20,000 | बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 13 | अशोक कुमार साह पिता- दशई साह ग्राम- ईलामदीपुर पो०- शकरा थाना- पचरुखी जिला- सिवान सीआर न०- 108112401336051 | LE Cataract | 25,000 | पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 8,45,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,45,000/- (आठ लाख पैतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002616 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई०जी०आई०एम०एस०, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 918(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 008626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जितेन्द्र पासवान पिता- विशुन्देव पासवान ग्राम- रामपुरउगन पो०- ब्रह्मपुरा थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर | हृदय रोग बीएमवी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002626 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड स० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

06/4/2026

ज्ञापक

919(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हसमुद्दीन पिता- महम्मदीन मिया ग्राम- नगरगवा पो०- पुरण छपरा थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000626490 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 2 | मिथिलेश साह पिता- योगेन्द्र प्र० साह ग्राम+पो०- गोडियारी थाना- सलखुआ जिला- सहरसा यूएचआईडी न०- अंकित नहीं है। | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | कोशील यादव पिता- स्व० पशुपति यादव ग्राम- अमवलिया पो०- सिंगाडी थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न०- 3000623209 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 4 | दिनेश सिंह पिता- भूटो सिंह ग्राम- संग्रामपुर पो०- आमैया थाना- असरगज जिला- मुगेर यूएचआईडी न०- 3000624466 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|--------------------|----------|---------------------|
| 5 | उषा देवी पति- चद्रानन्द ग्राम- तिलंगा पो0- हफनिया थाना- अमौर जिला- पूर्णिया यूएचआईडी न0- 3000620065 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 6 | मीरा देवी पति- अनिल साह ग्राम- कसदेवरा प्रेमन टोला पो0- कसदेवरा बगरा थाना- महाराजगज जिला- सिवान यूएचआईडी नं0- 3000622427 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | सुजीत दास पिता- चन्देश्वरी दास ग्राम- नवटोलिया पो0- सरैया थाना- चौथम जिला- खगडिया यूएचआईडी न0- 3000606201 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | प्रमिला देवी पति- दीपक राय ग्राम- डुमरी उत्तरी पो0- डुमरी थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी न0- 3000578648 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | हेमराज प्रसाद पिता- पचरंगा प्रसाद ग्राम+पो0- अखगांव थाना- सदेस जिला- भोजपुर यूएचआईडी न0- 3000595114 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | बच्चा सिंह पिता- लक्ष्मी सिंह ग्राम- विकाश नगर कुर्जी बालूपर पो0- सदाकत आश्रम थाना- दीघा जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000626302 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 11 | जितेन्द्र यादव पिता- बिजाधर यादव ग्राम- कुशहा पो0- घटराइन थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद रजि नं0- 3000623553 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------------|-----------|--|
| 12 | रघुवंश कुमार पिता- वीरचंद्र राय ग्राम+पो0- पिरापुर मथुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली रजि न0- 3000518842 | डाइलिसीस | 25,000 | पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| 13 | हिमांशु कुमार माता- नीलम देवी ग्राम- खेदलपुरा पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000383207 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | जगमोहन यादव पिता- फूलदेव यादव ग्राम- मंगलपुर पो0- पटनी थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण रजि नं0- 3000628080 | टोटल हीप रिप्लेसमेंट | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
| 15 | मृत्युंजय कुमार सिंह पिता- स्व0 कृष्ण कुमार सिंह ग्राम- विवेकानंद मार्ग नार्थ एम0के0 पुरी पो0- पाटलिपुत्रा थाना- एस0के0 पुरी जिला- पटना रजि नं0- 3000507223 | Dialysis | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 12,75,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,75,000/- (बारह लाख पचहत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 001626... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1649826000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 920(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बबली देवी पति- चद्रशेखर भारती ग्राम- भगवानपुर पो०- धंधुआ थाना- जन्हादा जिला- वैशाली | ट्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | शिव शंकर कुमार पिता- अर्जुन साह ग्राम- मगरपाल नूरन पो०- टरवां मगरपाल थाना- दरियापुर जिला- सारण | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 3 | अन्नू कुमारी पति- सतोष कुमार ग्राम- मलही पो०- विष्णुपुर थाना- रजौन जिला- बाका | ट्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 4 | मो० अशरफ आलम पिता- मो० सगीर राईन ग्राम+पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 5 | माधव कुमार पिता- राम रंजन कुमार सिंह ग्राम- मदारपुर पो०- लालबाग थाना- लहेरिया सराय जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|---------------|-----------|--------------------------------|
| 6 | पूनम देवी पति- फकीरा पडित ग्राम- बैगनाबाद पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 7 | जितेन्द्र कुमार मधुकर पिता- जय प्रकाश प्रसाद ग्राम- बालचद बिगहा पो0+थाना- बेन जिला- नालंदा | ट्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 8 | धनजय कुमार सिन्हा पिता- राघव यादव ग्राम+पो0- ईवान थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद | ट्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 9 | मूर्ती देवी पति- बबप सिंह ग्राम+पो0- किरकिरी थाना- अजिमाबाद जिला- भोजपुर | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 10 | अनिल कुमार सिंह पिता- स्व0 त्रिभुवन नारायण सिंह ग्राम+पो0- सरैया थाना- दरियापुर जिला- सारण | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 10,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,00,000/- (दस लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002626.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्रांड उड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन

- एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है।
उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/04/2026

ज्ञापाक

921(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, (स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सावित्री देवी पति— संतोष मंडल ग्राम+पो०— बेलही थाना— मरौना जिला— सुपौल | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | मूली देवी पिता— झालु दास ग्राम— लोहरा पो०— राउस थाना— बिस्फी जिला— मधुबनी | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 3 | वीसम खान पिता— अजहर खान ग्राम— दिहलाही पो०— लहेरियासराय थाना— विशनपुर जिला— दरभंगा | ड्रामा | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 4 | जय किशोर पूर्वे पिता— महेंद्र पूर्वे ग्राम+पो०+थाना— सोनकी जिला— दरभंगा | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 5 | सुनील कुमार चौधरी पिता— बलदेव चौधरी ग्राम— योगियामथ पो०— कपनी बाग थाना— नगर जिला— मुजफ्फरपुर | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--|
| 6 | महेश राम पिता- रीतलाल राम ग्राम- कोरौनी पो0- असतुआ थाना- सिधवाडा जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 7 | मो0 रहमान पिता- नूर मोहम्मद ग्राम- भदौल पो0- सतिघात थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 8 | मनोज नन्द कुमार झा पिता- नन्द कुमार झा ग्राम- नभर पट्टी पो0- नरमा थाना- अलीनगर जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 9 | नन्द किशोर साह पिता- स्व0 चुलाई साह ग्राम- पानी टकी रोड पो0- 06 थाना- पुपरी जिला- सीतामढी | ACL | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | ₹ 8,70,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,70,000/- (आठ लाख सत्तर हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002626...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/4/2026

ज्ञापांक 922(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
06/4/26

सं0सं0-14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जीतेन्द्र ठाकुर पिता- किशोरी ठाकुर ग्राम- ब्रह्मपुर रानीपुर रोड पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना | द्रामा | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| 2 | शारदा देवी पति- स्व० रामनाथ पाठक ग्राम+पो०- भटगाई थाना- तरैया जिला- सारण | हृदय रोग पीटीसीए | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 1,85,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबंगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन


ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 923(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 00...26.26...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (फ़ा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अंकित कुमार पिता- श्याम नारायण विश्वकर्मा ग्राम- पटना पो०- बारा थाना- नबीनगर जिला- औरंगाबाद | हृदय रोग एवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | विध्याचली देवी पति- बचाऊ राम ग्राम- लरामा पो०- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ | हृदय रोग सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| 3 | कुन्ती देवी पति- संतोष विश्वकर्मा ग्राम- बरूरी पो०- कुडारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ | हृदय रोग एमवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 4 | सचिन कुमार पिता- सजय यादव ग्राम- कैथर पो०- दोना थाना- हिसुआ जिला- नवादा | हृदय रोग एवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|----------|--|
| 5 | अनिल कुमार पिता- जमुना प्रसाद ग्राम- पाडेय चक पो0- बरखुर्द थाना- नूरसराय जिला- नालदा | हृदय रोग बीएमवी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 6 | अणी कुमारी पिता- सतोष कुमार साह ग्राम- दीपउ पो0- तलवा पोखर थाना- कोटवा जिला- पूर्वी चम्पारण | हृदय रोग एमवीआर | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| 7 | जयती देवी पति- स्व0 राजकिशोर शर्मा ग्राम- रूपसपुर पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा | हीप रिप्लेसमेट | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 8 | पूनम कुमारी पति- राहुल कुमार ग्राम- सैदपुर पो0- करौटा थाना- सालीमपुर जिला- पटना | Lap Appendectomy | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 9 | निर्मला कुमारी पति- कुणाल पासवान ग्राम- चौरा पो0- खुसरूपुर थाना- दरियावां जिला- पटना | Disectomy + Laminectomy | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 10 | राजनदनी देवी पति- अभिषेक कुमार ग्राम+पो0- मिर्जापुर थाना- चिकसौरा जिला- नालदा | हृदय रोग एमवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 11 | चादनी कुमारी पिता- विकाश कुमार ग्राम- सेलवे पो0- सकरदास थाना- बजीरगज जिला- गयाजी | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 12 | सोनू कुमार मंडल पिता- कपलेश्वर मंडल ग्राम- दुधौला पो0- दिधीया थाना- निर्मली जिला- सुपौल | हृदय रोग एवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|-----------|-----------------|
| 13 | नीतू देवी पति- विश्कर्मा पासवान ग्राम- तेदुआ पोख पो0- औरगाबाद थाना- मुफ्फशील जिला- औरगाबाद | हृदय रोग एवीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 12,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 12,20,000/- (बारह लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~0.0.2.626~~..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 924(14)

पटना, दिनाक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~0.0.2.626~~की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | डैजू देवी पति— जय प्रकाश शर्मा ग्राम— करपी डीह पो0+थाना— करपी जिला— अरवल | TAH+BSO | 45,000 | पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 45,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना—16, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 925(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 012626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सवेश कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | स्नेहलता सिन्हा पति- स्व० अशोक कुमार सिन्हा ग्राम- बी एम दास रोड पो०- बाकीपुर थाना- पीरबहोर जिला- पटना | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 2 | शर्मिला देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- सितलपुर बाजार पो०- सितलपुर थाना- दिघवारा जिला- सारण | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 3 | विन्धयावासनी देवी पति- बिमल कात पाडेय ग्राम+पो०- मधोपट्टी थाना- कमतौल जिला- दरभंगा | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,50,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002226 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-

440720110000498 खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 926(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.2626...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेंटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

| क्रमांक | मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या | रोग | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|-----------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | विनीता झा पति- विजय कुमार झा ग्राम- बेनीपट्टी वार्ड 17 पो०+थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | लालदेव राय पिता- मंगल राय ग्राम- मुफ्ती मोहल्ला वार्ड 13 पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | कन्हैया लाल यादव पिता- सदानंद यादव ग्राम- भोरहर नया टोला वार्ड 11 पो०- नवाबगंज थाना- फूलकाहा जिला- अररिया | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | रेखा देवी पति- नवल पासवान ग्राम- भानपुर बरेवा पो०- पदमौल थाना- पातेपुर जिला- वैशाली | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|
| 5 | मो० जमशेद पिता- मो० महताब ग्राम- गरहरा पो०- मच्छट्टा थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत |
| 6 | हरे कृष्णा यादव पिता- रामबचन यादव ग्राम- भिक्षुक के डेरा वार्ड 10 पो०- बडका राजपुर थाना- तिलक राय के हाता जिला- बक्सर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | जयप्रकाश राम पिता- जगलाल राम ग्राम- नौतन पो०- गोहपुर थाना- जी बी नगर जिला- सिवान | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | विजय कुमार सिंह पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम- अमारा वार्ड 05 पो०- सियाडीह थाना- कोच जिला- गयाजी | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | अमरजीत कुमार पिता- कृष्णा राय ग्राम- नासरीगंज वार्ड 29 पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | रघुवर महतो पिता- बहादुर महतो ग्राम+पो०- पुरैना थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 11 | दसई मुखिया पिता- बिलट मुखिया ग्राम- बहेरा जाहिदपुर वार्ड 01 पो०- बहेरा जाहिदपुर थाना- नानपुर जिला- सीतामढी | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 12 | राम उदय चौपाल पिता- पागल चौपाल ग्राम- नवटोलिया पो०- सुधराराईन थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|-------------------------|
| 13 | मनोरमा देवी पति- विजय शकर पाउंय ग्राम- नेतवार वार्ड 05 पो0- बेलाओ थाना- दरौली जिला- सिवान | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 14 | सरस प्रसाद चौरसिया पिता- द्वारिका मउल ग्राम- बडहरा पो0- बडी मलिया थाना- गोगरी जिला- खगडिया | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 15 | नागेद्र ठाकुर पिता- चद्रदेव ठाकुर ग्राम- खाजेपुर वार्ड 12 पो0-सरवरपुर थाना- तरियानी जिला- शिवहर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 16 | बिक्रम कुमार पिता- बशी लाल साह ग्राम- हटगाछी वार्ड 02 पो0- सौरा जाबर थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 17 | सतोष कुमार सिंह पिता- देवा कांत सिंह ग्राम- मिल्की वार्ड 13 पो0- गगटा मोड थाना- गंगटा जिला- मुगेर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 18 | उदय साह पिता- कारू साह ग्राम- भुडिया वार्ड 05 पो0+थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 19 | धुउर तिवारी पिता- भैया राम तिवारी ग्राम- बडकागांव वार्ड 06 पो0- बडकागाव थाना- तरारी जिला- भोजपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |
| 20 | फिरदोसी पति- मो0 संजर आलम ग्राम- सोनापुर पो0- पुरानागंज थाना-बायसी जिला- पूर्णियाँ | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत । |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|------------------------|
| 21 | नारायण दास पिता-चंद्रशेखर दास ग्राम+पो0- तदुआर थाना- खजौली जिला- मधुबनी | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 16,60,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,60,000/- (सोलह लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002626... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैंसर सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 927(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.002626...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | यशी कुमारी पिता- दिवेश कुमार ग्राम+पो०+थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | प्रमिला देवी पति- राजेश्वर महतो ग्राम+पो०- नेउरी थाना- बरौली जिला- गोपालगज | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | मुजिबुर रहमान पिता- टेयबुर रहमान ग्राम- जियागाछी वार्ड 12 पो०- कन्हरिया थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 4 | जुनैद आलम पिता- इलताफ हुसैन ग्राम- बुआलदह पो०- काशीबाडी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|------------------|
| 5 | रिजवाना खातून पति- मो० नाजीर कुरैसी ग्राम- जामा मस्जिद इमलीतल पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत |
| | | | 3,40,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002626...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 928(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
4/26

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हेमा देवी पति-भरत कुमार ग्राम-हथियाकाध वार्ड 07 पो0-सराय थाना-शाहपुर जिला-पटना | TLH +BSO Umbilical Hernia | 65,000 | पैंसठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2 | यशोदा देवी पति-सुरेश प्रसाद राय ग्राम-बौरिंग केनार रोड नियर इद्रा भवन पुनाईचक पो0-जी0पी0ओ0 थाना-श्रीकृष्णापुरी जिला-पटना | PFR Cystocele Repair | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | सुरभी कुमारी पति-पिन्दु कुमार ग्राम-बाबुचक पो0-मुहम्मदपुर थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना | Lap Cholecystectomy | 35,000 | पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 4 | बेबी देवी पति-राम बरत साव ग्राम-चितनावन पो0-शाहपुर थाना-मनेर जिला-पटना | TLH +BSO | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में |
| | | | ₹ 2,10,000/- | |

2 उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0022626.....द्वारा
आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-
442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH
CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग
कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0004428 में अंतरित किया जाता
है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 929 (14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 0022626.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मो० महबूब पिता— मो० शहजादा ग्राम— कुली पांडा कटिहार पो०+थाना— कटिहार जिला— कटिहार | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 2 | शमशाद आलम पिता— अबू कैसर ग्राम— इमली तल शाह फसाहत का मैदान पो०— पटना सिटी थाना— चौक जिला— पटना | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | मो० असलम पिता— सैरुद्दीन ग्राम— बिदेपुर पो०— भेलागज थाना— बलिया जिला— कटिहार | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 4 | मनीष कुमार पिता— विनय पोद्दार ग्राम— जोतलखाय पो०— रहुआ थाना— के नगर जिला— पूर्णियाँ | ACL | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 5 | घनश्याम मिश्रा पिता— रमाकांत मिश्रा ग्राम— बारसिघा डेरा पो०— लच्छुटोला थाना— बहोरनपुर जिला— भोजपुर | हृदय रोग पीटीसीए | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|------------|----------|--|
| 6 | उमा देवी पति- पवन कुमार ग्राम- बेउर मखदुमपुर पो0+थाना-बेउर जिला- पटना | न्यूरो रोग | 90,000 | नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| | | | 4,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,20,000/- (चार लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002626... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 930(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002626...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
06/4/26

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शोभा कुमारी पति- बिट्टू कुमार चौधरी ग्राम- फराड का अखारा दाहूचक नगला पो0- माधवमील्स थाना- मालसलामी जिला- पटना | ड्रामा | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | रश्मी कुमारी पति- राकेश कुमार ग्राम- मुस्लीम रोड पो0- जी0पी0ओ0 थाना- जक्कनपुर जिला- पटना | ड्रामा | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| 3 | प्रिया देवी पति- जीतेन्द्र दास ग्राम- गोवाचक पो0- सिंघौल थाना- सरमेरा जिला- नालदा | टोटल हीप रिप्लेसमेंट | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
| 4 | अमर नाथ कुमार पिता- विपुल राय ग्राम- गढी मोहनपुर पो0- मोहनपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर | ड्रामा | 90,000 | नब्बे हजार स्वीकृत। |
| 5 | रूपा कुमारी पति- मिथिलेश कुमार ग्राम- नयागंज रेपुरा टोला पो0- नयागंज थाना- देसरी जिला- वैशाली | ड्रामा | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|--|--------|----------|----------------------|
| 6 | अभय सिंह पिता- जगदीश सिंह ग्राम- गयाघाट पुराणी काली मंदिर पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना | द्रामा | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| | | | 5,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 5,20,000/- (पाँच लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 1.0 2.626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन द्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 06/4/2026

ज्ञापाक 931(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 1.0 2.626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुषमा कुमारी पति-राहुल कुमार ग्राम-रुकनपुरा पो०-खुशरूपुर थाना-सालीमपुर जिला-पटना | TP With LPV with FD | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में |
| | | | 50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002626. . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 932(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मिन्दू देवी पति— सुबोध कुमार ग्राम+पो०— पिरोई थाना— गोरौल जिला— वैशाली केस फाईल न०— 19एफ2026/000449 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 2 | राज किशोर सिंह पिता— राज मंगल सिंह ग्राम— आनंद विहार कॉलोनी पो०— भखनपुर थाना— हथौडी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2024/001002 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | रूबी कमारी पति— सतोष कुमार ग्राम+पो०— बथुआ बुजुर्ग थाना— मुसरीधरारी जिला— समस्तीपुर केस फाईल न०— 18एफ2025/017673 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | मुनचुन देवी पति— मिथलेश राय ग्राम— महम्मदपुर पो०— कोहरिया निजामत थाना— पारु जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2025/005400 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------|---------------------|
| 5 | बबलू प्रसाद साह पिता- छेछी साह ग्राम+पो0+थाना- कसबा जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न0- 11एफ2025/031948 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | शिवकली देवी पति- कौलेश्वर राम ग्राम- गोखुला पो0- बिरहिमा बाजार थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/007211 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 7 | रतना देवी पति- रमेश झा ग्राम- मधकौला पो0- जाफ्फरपुर थाना- बेलसड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- केडी/80794 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 8 | कौशलया देवी पति- स्व0 गणेश प्रसाद गुप्ता ग्राम- काँटी करवा पो0+थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005467 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 9 | रमावती देवी पति- स्व0 मुनेश्वर राम ग्राम+पो0- घनौती थाना- दरौदा जिला- सिवान केस फाईल न0- 19एफ2025/007286 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 10 | नाज बेगम पति- एहसानुल्लाह खान ग्राम- मारवाडी हाई विद्यालय चदवारा पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2023/003184 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 11 | कौसर जहाँ पति- मो0 नसीम ग्राम+पो0- रामपुर मोहनपुर थाना- बैरगाछी जिला- अररिया केस फाईल न0- 19एफ2026/001293 | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|---------------------|
| 12 | शशि देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- अम्बेदकर नगर वारिसलीगज पो0+थाना- बारिसलीगज जिला- नवादा केस फाईल न0- 19एफ2026/000084 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | अरमान खातून पति- मो0 नलिरूल ग्राम- लालबदी पो0+थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2025/007383 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 14 | भागनारायण प्रसाद यादव पिता- नागेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम- भवनियापुर पो0- पुरैनिया थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2025/005362 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 15 | जयमगल राम पिता- ढोडा राम ग्राम- भगवानपुर पो0- परसौनी किशुन थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2024/006546 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 16 | सकली देवी पति- सरयुग सिंह ग्राम- मुजफ्फरा कमतौल पो0- अनत कमतौल थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/000835 | कैसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 17 | बिना देवी पति- किशोरी पासवान ग्राम- कोरीगामा पो0- तितरा आशनद थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/004743 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 18 | माला कुमारी पति- अनिल राउत ग्राम+पो0- दाउदनगर थाना- वैशाली जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025/001228 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|----------|--------------------------|
| 19 | ममता देवी पति- कमलेश कुमार ग्राम+पो0- चकदीन थाना- अस्थवा जिला- नालदा केस फाईल न0- 19एफ2025/004427 | कैसर रोग | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
| 20 | शोभा देवी पति- चंदेश्वर राय ग्राम+पो0- पोखरैरा थाना- मुफफसिल जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/001390 | कैसर रोग | 1,20,000 | एक लाख बीस हजार स्वीकृत। |
| 21 | हाजरा बीबी पति- आश मोहम्मद ग्राम+पो0+थाना- फेनहारा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/000461 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 22 | शिव शकर पंडित ग्राम- तैया डुमरी पो0- मराछी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान केस फाईल न0- 19एफ2026/000309 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 23 | धनेश्वर कुमार पिता- भाटो बिद ग्राम- जगन सैदपुर पो0- अकबरपुर पुरानीडीह थाना- साम्हो अकहा कुरहा जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2026/000914 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | श्रवन कुमार पिता- विध्याचक सर्राफ ग्राम- मेन रोड कोइरिया टोला पो0+थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- सीवी/30827 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | अजली कुमारी पति- अशोक साह ग्राम+पो0- गुडरा थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/007364 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 26 | शिव शकर सिंह पिता- राम हुलास सिंह ग्राम- बोअरिया पो0- यशोदामठ थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/006705 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|-----------|---------------------|
| 27 | मास्टर मोहम्मद पिता- मो० एकरामुल हक ग्राम- इनायत नगर पो०+थाना- गोरौल जिला- वैशाली केस फाईल न०- 19एफ2026/001394 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 28 | गीता देवी पति- रामनाथ सहनी ग्राम+पो०- खरहर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2024/000549 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 29 | कामनी देवी पति- गौरी शकर सिंह ग्राम+पो०- कमरथु थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/002294 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 30 | रेवाकान्त कुमार पिता- अरुण कुमार प्रसाद ग्राम+पो०- माधोपुर थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न०- 11एफ2025/010208 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 31 | मकेश्वर यादव पिता- जागेश्वर यादव ग्राम- सिमराहा पो०- चिगरी थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा केस फाईल न०- 19एफ2026/000178 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 32 | अनागिता पति- प्रमोद कुमार ग्राम- बौद्ध आश्रम भगवानपुर चौक पो०- प्रधान डाकघर थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/003530 | कैसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 22,20,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,20,000/- (बाईस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002626 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल,एड रिसर्च सेटर

मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 933 (14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना
निदेशक प्रमुख
06/4/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | बसती देवी पति— विश्वनाथ सिंह ग्राम— ताजपुर खरिका वार्ड 07 पो०— देसरी थाना— बिदुपुर जिला— वैशाली | हृदय रोग सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,35,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002626... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 934(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

| क्र० सं० | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|----------|--|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुनैना कुवर पति— स्व० किशोरी लाल साह ग्राम— कुशहर पो०— झझवा बाजार थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगज | हृदय रोग पीटीसीए | 1,35,000 | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | सकु देवी पति— सतोष कुमार ग्राम— ईस्ट लोहानीपुर नियर अम्बेकर कॉलोनी पो०+थाना— कदमकुआ जिला— पटना | हृदय रोग बीएमवी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,85,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002626... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम—“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम . RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 935(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक.... .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | श्री निवास राय पिता—स्व० बसती राय ग्राम—नागा टोला गौरैया स्थान पो०—ब्यापुर थाना—मनेर जिला पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | राम नदन राय पिता—शिवपति राय ग्राम—निलकठ टोला गौरैया स्थान, पोस्ट—ब्यापुर थाना—मनेर जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | लक्ष्मीनीया देवी पिता—अशोक राय ग्राम—नागा टोला गौरैया स्थान पो०—ब्यापुर थाना मनेर जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | सुशरी देवी पति—प्रभु राय ग्राम—नीलकठ टोला गौरैया स्थान, पो०—ब्यापुर थाना—मनेर जिला—पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|
| 5 | बलदेव राय पिता-सुखदेव राय ग्राम-नीलकंठ टोला गोरेया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 6 | सुका देवी पति-जनार्दन राय ग्राम-नागा टोला गोरेया स्थान पो0-सादिकपुर थाना-मनेर जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | प्यासी देवी पति-सत्येन्द्र प्रसाद ग्राम-नीलकंठ टोला गोरेया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | सिपाही सिंह पिता-शिव रतन सिंह ग्राम-जीवराखन टोला पोस्ट-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | सुदामा देवी पति-ठाकुर प्रसाद ग्राम-नीलकठ टोला गोरेया स्थान, पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | शोभित राम पिता-चरित्र राम ग्राम-मोरसड पोस्ट-रुन्नी सैदपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | अशर्फी राय पिता-भुझावन राय ग्राम-धरहरवा पो0-धरहरवा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 12 | तबिया देवी पति राजेन्द्र राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|
| 13 | विजय राय पिता-रामदेव राय ग्राम-धडहरवा पो0-धडहरवा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | फुल कुमारी देवी पति-जय लाल साह ग्राम-बैदनाथा पो0-धरहरवा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 15 | समतलिया देवी पति-कुलदीप राम ग्राम-मोरसड पोस्ट-रुन्नी सैदपुर थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 16 | देवती देवी पिता-लखन राय ग्राम-दरवेशपुर पो0-ब्यापुर थाना-मनेर जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 17 | शांति देवी पति-राम बाबु महतो ग्राम-तेलहरी पो0-हजरत साई थाना-धनरुआ जिला पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 18 | हरि लाल साव पिता-बालचद साव ग्राम+पो0-हजरत साई थाना धनरुआ जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 19 | प्रभावती देवी पति-नवरतन साव ग्राम-माधोपुर पो0-दानापुर कैट थाना-शाहपुर जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 20 | मो0 इरशाद पिता-मो नसीम ग्राम-नया टोला फुलवारीशरीफ पोस्ट+थाना-फुलवारीशरीफ जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|
| 21 | चंदेश्वर राय पिता-राम बिशुन राय ग्राम-आनदपुर पो-आनदपुर थाना-बिहटा जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 22 | तेतरी देवी पति-शोभा नाथ राय ग्राम-माधोपुर पो-दानापुर कैट थाना दानापुर जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 23 | जयनदन राय पिता-नरसिघ राय ग्राम-नया पानापुर पो-मानस थाना-दानापुर जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 24 | सुभाष राय पिता-बाकी राय ग्राम-नया पानापुर पो-मानस थाना दानापुर जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 25 | जयकाल देवी पति-महेश्वरी माझी ग्राम-सिरोपट्टी पोस्ट-टी० छपरा थाना बेलसड जिला-सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 26 | सायरा खातुन पति-मो० हुसैन खान ग्राम-नगवा पो-नगवा थाना-काको जिला जहानाबाद | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 27 | चिता देवी पति-जग बहादुर प्रसाद ग्राम-टिकुलियापर पो-नगवा थाना-काको जिला जहानाबाद | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 28 | राम प्रवेश सिंह पिता-सीता राम सिंह ग्राम-नगवा पो-नगवा थाना-काको जिला जहानाबाद | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 29 | रविन्द्र प्रसाद पिता-जगन प्रसाद ग्राम-नगवा पो-नगवा थाना-काको जिला जहानाबाद | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|------------------|
| 30 | सुनैना देवी पति-हरिचन्द्र राय ग्राम-बलुआ पो0-डुमरा थाना-महिन्दवारा जिला-सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 3,00,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 937(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
श्री साईं लायन्स नेत्रालय
बी०/144, पी०सी० कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मीना देवी पति-लालदेव राम ग्राम-अख्तयारपुर पो०-उर विष्णुपुर थाना-अलीपुर जिला गया | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | अखोधनी देवी पति-शिवन मोची ग्राम-गगधैला पो०-सडा थाना-टिकारी जिला गया | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | गीता देवी पति-शिव प्रसाद ग्राम-मीना बाजार पो०-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | रामभी देवी पति-बिहारी शर्मा ग्राम-करौता पो०-घोषी थाना-परस बीगहा जिला-जहानाबाद | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-------------|--------|---------------------|
| 5 | रुकमीनी देवी पति-ब्रदी प्रसाद चौरसीया ग्राम-झाउगज हरि मंदिर गली पो0 झाउगज थाना चौक जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 6 | शांति देवी पति-देवनदन ठाकुर ग्राम-जूनियार पो0-जूनियार थाना-हिलसा जिला नालदा | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | चन्द्रावती देवी पति-विजय साह ग्राम-इजरी श्रीराम पोस्ट-महदह थाना-मुफसिल जिला-बक्सर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | विश्व विजय सिंह पिता-देवानद सिंह ग्राम-अख्तियारपुर पोस्ट-उर बिशनपुर थाना-अलीपुर जिला-गया | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | चिता देवी पति-राम स्वरूप पासवान ग्राम-शिवा बिगहा पो0-बारा थाना-टिकारी जिला गया | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | राजमणी देवी पति-वासुदेव सॉव ग्राम+पो0-मऊ थाना मौओपी टिकारी जिला-गया | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | प्रहलाद सिंह पिता-मनी महतो ग्राम-मऊ पो0-मऊ थाना मौओपी टिकारी जिला-गया | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 12 | पवित्री देवी पति-राम नारायण राम ग्राम+पो0-बसुधर थाना-ईटाढी जिला-बक्सर | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|-------------|--------|---------------------|
| 13 | महापती देवी पति-राम उदित पासवान ग्राम-सैदी पो0-नुरसराय थाना-नुरसराय जिला नालदा | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | लालती देवी पति-स्व0 राम बाबु साव ग्राम-बेलवार गज नीयर फायर स्टेशन, पोस्ट-गुलजारबाग थाना आलमगज जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 15 | लालसा देवी पति-चितरजन सिंह ग्राम+पो0-माऊ थाना-मौ0 ओ0पी0 जिला-गया | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 16 | बृज पासवान पिता-स्व0 जुगेश्वर पासवान ग्राम-सैदी पो0-नुरसराय थाना-नुरसराय जिला नालदा | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 17 | बढीया देवी पति-किरीशन जमादार ग्राम-दाहुचक नगला मलसलामी पटना सिटी पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 18 | सविता देवी पति-नद किशोर शर्मा ग्राम-बेरका पो0-बेरका थाना-उमता धरनई ओ0पी0 जिला-जहानाबाद | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 19 | रौशन जहाँ पति-मो0 सलीम ग्राम-कटरा स्कुल मडइ सुलतनगज पो0-महेन्दु थाना-सुल्तानगज जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|-------------|----------|---------------------|
| 20 | रीता देवी पति-विनोद राम ग्राम-कमला नेहरू नगर पो-जी०पी०ओ० थाना-कोतवाली जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 938(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
06/4/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राज कुमारी देवी पति-शिव शकर साह ग्राम-राजहाटा विनोदपुर पो०-कटिहार थाना+जिला कटिहार | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | धर्मदेव पासवान पिता-मोहन पासवान ग्राम-किजर पो०-किजर थाना-किजर जिला अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | बिन्दु देवी पति-बैजनाथ सिंह ग्राम-पामरपट्टी पो०-किजर थाना-किजर जिला अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | कुन्ती देवी पति-युगेश्वर प्रसाद ग्राम-नगला किजर पो०-किजर थाना-करपी जिला-अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 5 | सियामणी देवी पति-नन्द राम ग्राम-नगला किजर पो०-किजर थाना-करपी जिला-अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|--|----------------|--------|------------------|
| 6 | रजनधारी कुमार पिता-राणा सिंह ग्राम-नगला किजर पो0-किजर थाना-किजर जिला-अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | कलौती देवी पति-बखोरी प्रसाद ग्राम-बभना पो0-बभना थाना-जहानाबाद जिला जहानाबाद | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | मीना देवी पति-जुगल महतो ग्राम-करपी पो0-करपी थाना-करपी जिला अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | मनोरमा देवी पति-राजेश कुमार ग्राम-किजर पो0-नगला किजर थाना-किजर जिला अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 90,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 90,000/- (नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **HDFC BANK**, शाखा का नाम- **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।



6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 939(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
06/4/26

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सार्प साईट आई० हौस्पिटल,
आध्या हाईट आशियाना मोड,
आशियाना दीघा रोड,
पटना 800025

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कुसमी देवी पिता- स्व० रामायण दास ग्राम- गोपालपुर पो०- बकुलाहर थाना- गोपालपुर जिला- पश्चिम चम्पारण | Cataract surgery | 15,000 | पन्द्रह हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 15,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002.626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० **50200043954418** खाता धारक का नाम- 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम- LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड स० **HDFC0000120** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।


विश्वासभाजन

ह०/—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 940(14)

पटना, दिनांक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

किरण कुमारी
पति- कौशल राम
ग्राम- राम टोला वा र्ड 19
पो०+थाना- सिमरी बख्तायारपुर
जिला- सहरसा
पिनकोड- 852127

पटना, दिनांक.. . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | किरण कुमारी पति- कौशल राम ग्राम- राम टोला वा र्ड 19 पो०+थाना- सिमरी बख्तायारपुर जिला- सहरसा पिनकोड- 852127 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 583210110000512, खाता धारक का नाम- KIRAN KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SIMARI BAKHTIYARPUR, IFSC कोड स०- BKID0005832 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 963(14)

पटना, दिनाक 06/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० .D.R.2526 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

| | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Br. Name : | SIMARI BAKHTIYARPUR | Occupation : | HOUSEWIFE |
| Br. Address : | SIMARI BAKHTIYARPUR BR, PO-SIMARI BAKHTIYARPU | Address : | W/O-KAUSHAL RAM |
| | BIHAR, SIMARI BAKHTIYARPUR, 852217 | | RAM TOLA, SIMRIBAKHTIYARPUR, SAHARSA |
| Br. Tel. : | | | SIMARI BAKHTIYARPUR 852127 |
| Br. Email : | | | BIHAR INDIA |
| IFSC Code : | BKID0005832 | Operational Inst: | SELF |
| MICR Code : | 852013509 | Nomination : | REGD. |
| Customer Id : | 132677815 | A/C Open Dt.: | 30-05-2013 |
| Account No. : | 583210110000512 | | |
| Name : | 1. KIRAN KUMARI | | |



Toll free number of our call center: 1800220229

Chief Grievance Redress Officer:022-66684464

किरण कुमारी

2-1

0

2
1
x

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

बौआ कुमार
पिता- अनिल यादव
ग्राम- कटहरा
पो०- मोहनपुर
थाना- छातापुर
जिला- सुपौल
पिनकोड- 852137

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बौआ कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- कटहरा पो०- मोहनपुर थाना- छातापुर जिला- सुपौल पिनकोड- 852137 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 001626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं-584610510003015, खाता धारक का नाम- BAUA KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- CHHATAPUR, IFSC कोड सं- BKID0005846 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 962(14)

पटना, दिनाक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/4/26
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

नवीन कुमार
पिता- जय प्रकाश पंडित
ग्राम- छोटी चक
पो०- जमालपुर
थाना- गोगरी
जिला- खगडिया
पिनकोड- 851203

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 25.03.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नवीन कुमार पिता- जय प्रकाश पंडित ग्राम- छोटी चक पो०- जमालपुर थाना- गोगरी जिला- खगडिया पिनकोड- 851203 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में) |
| | | | रु० 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002626 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 300502011027047, खाता धारक का नाम- NAVIN KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JAMALPUR, GOGRI, IFSC कोड सं०- UBIN0530051 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 961(14)

पटना, दिनाक 06/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...022626 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

